न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3219–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–06–2015 पारित द्वारा कलेक्टर जिला गुना के प्रकरण कमांक 41/स्व.निग. /2012–13 .

.....

जानकीबाई पत्नी देवेन्द्र सिंह धाकड़
निवासी ग्राम मुहालपुर तहसील व
जिला गुना म0प्र0

..... आवेदिका

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला गुना
2–हेमा पुत्र रामा बंजारा
निवासी ग्राम झिर तहसील व जिला गुना
हाल निवासी ग्राम गोपाल गढ़ पोस्ट उमरी पंचायत
मकराबदा तहसील व जिला गुना म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक–आवेदक
श्री अनिलकुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1
श्री एल.एस.धाकड़, अभिभाषक–अनावेदक कमाक 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 3/3/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 2 की पत्नी सोना बाई द्वारा कलेक्टर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके पति को प्रकरण कमांक 19/अ/1983–84 से ग्राम झिर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 29/1 रकबा 5.500 हेक्टेयर का पट्टा दिया गया था । उक्त भूमि के संबंध में आवेदिका द्वारा उसके पति से धोखाधड़ी कर पंजीकृत विकय पत्र निष्पादित करा लिया गया है और उसके आधार पर अपना नामान्तरण भी करा लिया गया है, अतः आवेदिका का नाम राजस्व अभिलेखों में से कम किया जाकर प्रश्नाधीन विकय पत्र शून्य घोषित किया जाये और तद्नुसार नामान्तरण दुरूस्त किया जाये । कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 41/स्व.निग./2012–13 दर्ज किया जाकर दिनांक 24–6–2015 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक 8 पर दिनांक 4–3–2000 को पारित नामान्तरण आदेश निरस्त किया गया । साथ ही हेमा को जारी पटटा भी निरस्त किया गया । कलेक्टर के इसी आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदिका द्वारा पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है और पंजीकृत विकय पत्र की जॉच करने का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा आवेदिका के पक्ष में पारित नामान्तरण आदेश को निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदिका की ओर से कलेक्टर के समक्ष कारण बताओ सूचना पत्र का जबाव प्रस्तुत किया गया था, परन्तु कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करने में उक्त जबाव पर कोई विचार नहीं किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि हेमा को पटटा वर्ष 1980–81 में दिया गया था, जबकि आवेदिका द्वारा दिनांक 21–5–1999 को लगभग 18 वर्ष के पश्चात् प्रश्नाधीन भूमि कय की गई है और पटटा जारी होने के 10 वर्ष पश्चात् कलेक्टर की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया

कि कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही अत्यधिक विलम्ब से की गई है, इसलिये भी कलेक्टर द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है ।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदक कमांक 1 शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि आवेदिका द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के पटटे की भूमि कय की गई है, इसलिये कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर नामान्तरण आदेश व पटटा निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा कलेक्टर का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विकय नहीं किया गया है, बल्कि आवेदिका द्वारा धोखाधड़ी से अपने पक्ष में विकय पत्र निष्पादित करा लिया गया है, ऐसी स्थिति में उसके पति द्वारा पटटे की शर्तो का उल्लंघन नहीं किया गया है, अतः कलेक्टर द्वारा पटटा निरस्त करने में अनियमित एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा नामान्तरण निरस्त करने में तो विधिसंगत कार्यवाही की गई है, परन्तु पटटा निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है । उनके द्वारा कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा बहाल करने का अनुरोध किया गया ।

6/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमि का पटटा अनावेदक कमांक 2 को दिया गया था और उसके द्वारा पटटे की भूमि का विकय किया गया है। संहिता की धारा 165(7–ख) में स्पष्ट प्रावधान है कि शासकीय पटटा की भूमि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के विकय नहीं की जा सकती है । इसी तारतम्य में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के द्वारा परिपत्र कमांक एफ–16–36/2013/सात/शा.दो–ए भोपाल दिनांक 17–1–2014 जारी कर स्पष्ट किया गया है कि शासकीय पट्टेदार आवंटन तारीख से 10 वर्ष की अवधि तक पटटे की भूमि का किसी प्रकार से कोई अंतरण नहीं कर सकता है और 10 वर्ष के पश्चात् बिना कलेक्टर की अनुमति के पट्टे की भूमि का विकय/अन्तरण नहीं कर सकता है, अतः शासकीय पटटेदार

हेमा द्वारा शासकीय पटटे की भूमि का विकय बिना कलेक्टर की अनुमति से किये जाने से जहॉ संहिता की धारा 165(7–ख) का उल्लघंन हुआ है, वहीं पटटे की शर्तो का भी उल्लघंन किया गया है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर नामान्तरण पंजी की प्रविष्टि कमांक 8 पर पारित आदेश दिनांक 4–3–2000 निरस्त किया जाकर अनावेदक कमांक 2 को आवंटित पटटा भी निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक कार्यवाही की गई है, इसलिये कलेक्टर का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–6–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर